

क्रमांक/2/अवि./सेल-विविध/2018/461-K भोपाल, दिनांक. 26/4/2018

- : आदेश : -

श्री भगवानदास माली सेवानिवृत्त भृत्य जिला बड़वानी द्वारा म.प्र उच्च न्यायालय खंडपीट इन्दौर में दायर रिट याचिका क्रमांक 779/2009 में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 08.07.2015 को निम्नानुसार आदेश पारित किया गया है:-

Resultantly without further averting to the merits the case, the petition is allowed. Respondents are directed to consider the case of the petitioner for promotion in respect of the post of Pump Mechanic and in case, the petitioner is found fit for the promotion, he shall be entitled for promotion. It is made clear that the petitioner shall not be entitled for any back-wages. However, he shall be entitled for notional pay fixation and enhanced pension alongwith arrears of pension.

The exercise of passing necessary orders be concluded within a period of six months from the date of receipt of certified copy of this order.

माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के पालन में (काल्पनिक) नोशनल पदोन्नति दिये जाने की एतद् द्वारा प्रशासकीय स्वकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि संबंधित को पदोन्नति करने के उपरांत किसी भी प्रकार के एरियर्स की पात्रता नहीं होगी साथ ही उनको नोशनल(काल्पनिक) वेतन निर्धारण एवं बढ़ी हुई पेंशन मय पेंशन एरियर की पात्रता होगी।

श्री माली को देय वेतन निर्धारण का परीक्षण/सत्यापन सम्भागीय पेंशन अधिकारी,(कोष एवं लेखा) इंदौर सम्भाग इंदौर से कराया जाकर नियमानुसार आगामी कार्यवाही की जाये।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित।



26/4/18

(विवेक श्रोत्रिय)

अपर संचालक (प्रशासन)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें


मध्यप्रदेश

निरंतर.....2/

क्रमांक/2/अवि./सेल-विविध/2018 462-क. भोपाल, दिनांक 26/4/2018

प्रतिलिपि :-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश।
2. अतिरिक्त महाधिवक्ता मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इंदौर, म0प्र0।
3. अपर संचालक (वित्त), स्थानीय कार्यालय।
4. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल इंदौर सम्भाग इंदौर, मध्यप्रदेश।
5. संभागीय पेंशन अधिकारी (कोष एवं लेखा) इंदौर संभाग इंदौर म.प्र.।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बड़वानी की ओर प्रेषित कर लेख है कि प्रकरण में तत्काल कार्यवाही की जाकर संबंधितों को अवगत करावें।
7. जिला कोषालय अधिकारी, बड़वानी मध्यप्रदेश।
8. प्रभारी एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय की ओर जारी नोटिस की प्रति प्रेषित कर लेख किया जाता है, कि जारी नोटिस विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करें।



26/4/18

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश